...यालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

...-पत्र संख्या :–31 / 2014 दायर दिनांक 29.04.2014

...MS NO:- 2014/00149

...सीन अधिकारी :–श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आर.ए.एस.)

1. संजय कुमार आ0 श्री मोटा जाति माली निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0।
2. गोविन्द कुमार आ0 श्री मोटा जाति माली निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0।
3. गोदावरी बाई पुत्री श्री मोटा जाति माली निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी हाल वधू पत्नी श्री राधेश्याम जाति माली निवासी मकान नंबर 508 संतोषी नगर कच्ची बस्ती महावीर नगर विस्तार योजना के पास कोटा राजस्थान।
4. सोसर बाई विधवा पत्नी श्री मोटा जाति माली निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0।
5. ईशर आ0 श्री अमरा जाति माली निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0।
6. शोजी आ0 श्री अमरा जाति माली निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी हाल निवासी ग्राम मादूण्दा तहसील बून्दी जिला बून्दी राज0।

–प्रार्थीगण –

बनाम

1. देवीलाल आ0 चतरा जाति माली निवासी मोहल्ला खानपोल दरवाजा नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
2. महादेव आ0 चतरा जाति माली निवासी मोहल्ला खानपोल दरवाजा नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
3. दुर्गालाल आ0 चतरा जाति माली निवासी मोहल्ला खानपोल दरवाजा नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
4. भू–स्वामी जयें तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी राज0।

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 212 आर.टी एक्ट वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः–

प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी।

अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री हसन मियां।

निर्णय दिनांक 20.07.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम नैनवां द्वितीय तहसील नैनवां की जमावंदी सम्वत् 2068 से 2071 के खाता संख्या 262 के अनुसार खसरा संख्या 3188 रकबा 01 बीघा 10 विस्वा स्थित है जिसके साबिका (गत) बन्दोबस्ती खसरा संख्या 2320 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा संख्या 2321 थे जिनको संयुक्त कर वर्तमान बन्दोबस्ती यह खसरा संख्या 3188 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा बनाया गया है जो मूलतः साबिका खसरा संख्या 2320 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा का ही अंश है। यह कि जमावंदी सम्वत 2012 से 2015 के खाता संख्या 313 के अनुसार प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के खातेदार अमरा वल्द नन्दा जाति माली निवासी हिण्डोली थे। उक्त अमरा की उक्त भूमि पर काबिज रह कर कृषि कार्य ताउम्र करते रहे। उक्त श्री अमरा की मृत्यु दिनांक 05/12/1992 को ग्राम हिण्डोली में हो गई जिसके प्रार्थीगण एक मात्र उत्तराधिकारी हैं। अमरा के वडे पुत्र मोटा की भी मृत्यु दिनांक 04/11/2001 को हो चुकी है जिसके प्रार्थीगण 1 लगायत 4 ही एक मात्र उत्तराधिकारी हैं। यह कि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर अमरा की मृत्यु के बाद से प्रार्थीगण आज दिन तक काबिज रहकर कृषि कार्य करते चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण ही काबिज है। यह कि मृतक अमरा ग्राम [illegible] तहसील नैनवां में निवास करता था और प्रार्थीगण भी वहीं हिण्डोली निवास करते हैं जि[illegible]ना[illegible]ज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 के पूर्वज रोडू वल्द देवा ने वाद [illegible] भूमि में नाजायज तरीके से स्वयं के खातेदारी अधिकार में दर्ज करवा लिया [illegible] रोडू [illegible] बाद उसके पुत्र चतरा [illegible] तथा चतरा की मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 के नाम [illegible] राजस्व रि[illegible] बतौर खातेदार अंकित होती चली गई। प्रार्थीगण के पूर्वज अमरा [illegible] स्थान पर रोडू के ना[illegible] अंकन सर्वथा प्रभाव शून्य (एव इनिसियो वोइड) है जो बिना किसी आधार के दर्ज किया गया है इस कारण वर्तमान में प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के नाम का अंकन भी सर्वथा प्रभाव शून्य हैं। यह भूमि 45/– रूपये अक्षरे पैंतालिस रूपये में रोडू के रहन थी जिस पर रोडू का इजाजती कब्जा (परमिसिव पजेशन) था। प्रार्थीगण के पूर्वज अमरा ने 45/–रूपये अक्षरे पैंतालीस रूपये दिनांक 02/05/1976 को बतरा को चुकाकर वह इजाजती कब्जा भी अप्रार्थीगण के पिता चतरा का समाप्त करवा लिया इस प्रकार उक्त भूमि का दिनांक 02/05/1976 से प्रार्थीगण पुश्तैनी रूप से आज तक काबिज है

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.20 12:24:00 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 का वादग्रस्त भूमि से रूपया चुक जाने के बाद कोई संबंध नही रहा

अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थीगण को दौरान वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंध फरमाया जावे कि वे वाद के निस्तारण तक रिकार्ड की स्थिति यथावत रखे तथा वादग्रस्त भूमि का अन्तरण कर खुर्द बुर्द नही करें तथा प्रार्थीगण को शांति पूर्ण ढंग से काबिज रह कर कृषि कार्य करने में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं करें एवं प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें तथा ऐसा कार्य किसी अन्य से भी नहीं करावे।

प्रत्यार्थीगण संख्या 2 व 3 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि भूमि खसरा संख्या 3188 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा पर प्रार्थीगण का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। अपितु 10 वर्षों से भी ज्यादा समय से प्रत्यार्थीगण के पूर्वज ही उक्त भूमि पर खेती काश्त करते चले आ रहे है। एवं प्रत्यार्थीगण ही उक्त भूमि के पीढी दर पीढी खातेदार है। उक्त प्रार्थना पत्र की आड में प्रार्थीगण भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। यह कि प्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया गया यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है, अपितु खारिज होने योग्य है।

अप्रार्थीगण के जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत, बहस उभयपक्षकारान अभिभाषकगण तथा प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज का अवलोकन किया एवं मनन किया। बहस में वकील पक्षकारान ने उन्ही तथ्यों को दौहराया जो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित किये गये है। प्रस्तुत पत्रावली में शामिल राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न बिन्दुओ को देखना होता है।

01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन

01. प्रथम दृष्टया मामला : प्रकरण में प्रार्थी द्वारा उक्त वर्णित आराजियात में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। अप्रार्थीगण विवादित आराजियात में रिकोर्डेड खातेदार है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजियात को 10 वर्षो से काबिज व रिकार्डेड खातेदार बताया है। लेकिन अप्रार्थीगण का नाम खातेदारी में क्यों आया, इस बावत् कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नही किया है। वकील प्रार्थी ने पूर्व में प्रार्थीगण के नाम रिकार्ड में होने बावत् प्रमाण प्रस्तुत किये है। तथा 2014 से पूर्व काबिज काश्त बताया है। प्रार्थी के विवादित आराजियात में खातेदारी के संबंध में हक अधिकार की घोषणा मूलवाद मे तय की जायेगी। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा भूमि के रहन बेचान करने पर न केवल प्रार्थी को पैतृक संपत्ति से वंचित होना पडेगा अपितु अनावश्यक वादकरण भी बढेगा। प्रार्थी के पैतृक संपत्ति में हक–हिस्से/अधिकारों एव अनावश्यक वादकरण को रोकने को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

02. अपूर्णनीय क्षति : चूंकि उक्त वर्णित आराजी पुश्तैनी होने के कारण यदि विवादित आराजियात का रहन–बेचान किया जाता है तो प्रार्थी को अपने हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

03. सुविधा का संतुलन :चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूरणीय क्षति का विंदु प्रार्थी के पक्ष में है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

अतः प्रार्थना पत्र, बहस वकील पक्षकाराना एवं राजस्व रिकोर्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजी खसरा संख्या 3188 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम नैनवां द्वितिय तहसील नैनवां में ताफैसला वाद रहन बेचान न करे, ना ही अन्य प्रकार से [illegible] शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 20.07..2022 [illegible] कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.03.20 12:24:00 IST
Reason: SelfAttested

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड़ अधिकारी
नैनवाँ

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बूंदी)